ई वाहन पर सब्सिडी चाहिए तो पोर्टल पर करें आवेदन

नियम

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) को प्रोत्साहित कर रही योगी सरकार ने क्रय सब्सिडी के लिए पोर्टल पर आवेदन को हरी झंडी दे दी है। जिन ग्राहकों ने 14 अक्टूबर 2022 के बाद प्रदेश में ईवी की खरीद की है, उन्हें सब्सिडी पाने के लिए पोर्टल (upevsubsidy.in) पर 13 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा। यह पोर्टल जल्द क्रियाशील हो जाएगा।

आवेदनों का सत्यापन करने के बाद पात्र व्यक्ति को उसके खाते में सब्सिडी की राशि दी जाएगी। क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन योजना अधिसूचित होने की तिथि 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2023 तक प्रभावी है। प्रमुख सचिव वेंकटेश्वर लू की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक वाहन वर्ग में क्रय सब्सिडी का वितरण नीति में निहित व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। इसके अनुसार प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।

- योजना के तहत पात्र आवेदकों को मिलेगा लाभ
- पोर्टल पर 13 अक्तूबर तक कर सकेंगे आवेदन

चौपहिया पर एक लाख छूट

पहले दो लाख टू व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को 5000 रुपये प्रति वाहन सब्सिडी दी जाएगी। पहले खरीदे गए 25 हजार फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को एक लाख रुपये प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी प्राप्त होगी। शुरुआती 400 ई-बसों (गैर-सरकारी) को 20 लाख रुपये प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा। पहले 1000 ई-गुड्स कैरियर की खरीद पर एक लाख रुपये प्रति वाहन की सीमा तक सब्सिडी प्राप्त होगी।